कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र. शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC014882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615
फैक्स नं.: 0761-2665805
ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
वेबसाइट : www.mppgcl.mp.gov.in

क्रमांक मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/चिकित्सा/ 4575 जबलपुर, दिनांक 28 NOV 2017

आदेश

म.प्र. शासन, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 9-01/2017/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 18.08.2017 के अनुरूप राज्य शासन द्वारा जारी शर्तों एवं दिशा निर्देशों एवं एन.ए.बी.एच. संबंधी एन्ट्रीलेबल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के परिप्रेक्ष्य में अमृता चिकित्सालय, शहडोल को म.प्र. राज्य में पदस्थ शासकीय कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के चिकित्सा/उपचार प्रदान किए जाने बाबत् चिन्हित कर मान्यता प्रदान की गई है ।

इसी अनुक्रम में शासन के आदेश क्रमांक 9-01/2017/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 18.08.2017 को ग्राह्य कर कम्पनी के प्रचलित चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियमों के अंतर्गत एवं शासन द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों पर अमरकंटक ताप विद्युत गृह, चचाई एवं संजय गांधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर में पदस्थ कार्मिकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए चिकित्सा/उपचार हेतु अमृता चिकित्सालय, शहडोल को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 05.03.2019 तक इस शर्त पर मान्यता प्रदान की जाती है कि अमृता चिकित्सालय, शहडोल द्वारा दिनांक 31.12.2017 के पूर्व एन.ए.बी.एच. संबंधी प्रोगेसिव लेवल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, अन्यथा उसकी मान्यता दिनांक 01. 01.2018 को समाप्त मानी जावेगी ।

क्र.	चिकित्सालय का नाम	म.प्र. शासन का आदेश क्रमांक	चिकित्सा
1.	अमृता हॉस्पिटल, रीवा रोड, पिपरिया, शहडोल (म.प्र.)	एफ 9-1/2017/सत्रह/मेडि-3 भोपाल, दि. 18.08.2017	सामान्य बीमारियाँ, महिला एवं शिशु रोग, सामान्य शल्य क्रिया, आपातकालीन सेवा एवं जॉच

उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में उपचार/जांच के लिए अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी : -

1- कंपनी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच कराने के पूर्व, कम्पनी के चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किए जाने एवं मण्डल/कम्पनी से अनुमति प्राप्त करने पर, उपरोक्त संस्थान में उपचार प्राप्त किया जा सकता है ।

2- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

3- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, म.प्र.शासन द्वारा राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जो दरें निर्धारित की गई हैं, यदि उन दरों में प्रस्तावित अस्पताल की दरें कम हैं, तो उन दरों पर तथा यदि प्रस्तावित अस्पताल की दरें राज्य के बाहर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दरों से अधिक हैं, तो राज्य के बाहर के चिकित्सालय की दर से उपचार की दर सीमित करते हुए म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अनुसार केवल 75 % की सीमा तक की पात्रता होगी । प्रतिपूर्ति के संबंध में पूर्ववर्ती म.प्र. राज्य विद्युत मंडल के आदेश क्रमांक 01-01/IV/5811/457 दिनांक 22.05.2003, जिसे इस कंपनी द्वारा ग्राह्य किया गया है, में निहित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

4- चिकित्सालय में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की सूची लगाया जाना आवश्यक होगा तथा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जावेगा ।

निरंतर 2

5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे ।

6- म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जांच/इलाज की दर/पुनरीक्षित दर कंपनी के कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगी ।

7- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हिकरण, किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त किया जा सकेगा ।

8- प्रतिलिपि के सरल क्रमांक-(3) एवं (12) में उल्लेखित अधिकारियों से अनुरोध है कि अमृता चिकित्सालय, शहडोल द्वारा NABH के प्रोगेसिव लेवल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरांत उपरोक्त चिकित्सालय की कंपनी द्वारा मान्यता निरंतर जारी रखे जाने संबंधी वस्तुस्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यरत कार्मिकों को आवश्यक रूप से अवगत कराने का कष्ट करें ।

आदेशानुसार,

(ए.के. नेमा)
मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. ,जबलपुर

पृष्ठां.क्रमांक मु.अ.(मा.सं.एवं प्र.)/चिकित्सा/4576 जबलपुर, दिनांक 28 NOV 2017

प्रतिलिपि : -

1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/(नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर।

2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), श्री सिंगाजी ताविपरि./सतपुड़ा ताविगृ, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., खण्डवा/सारनी ।

3- मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृ/अताविगृ, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., बिरसिंहपुर/चचाई ।

4- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेमेंट कं.लि., जबलपुर ।

5- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि., जबलपुर/भोपाल/इंदौर

6- मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।

7- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।

8- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल)-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर/सिरमौर।

9- अधीक्षण अभियंता (संचा.संधा.), गांधीसागर/पेंच/राअबासा/राजघाट/बाणसागर-दो/तीन/चार/मड़ीखेड़ा जविगृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., गांधीसागर/तोतलाडोह/बरगीनगर/चंदेरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना/शिवपुरी

10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।

11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., सारनी ।

12- वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, संगांताविगृ/अताविगृ, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., बिरसिंहपुर/चचाई ।

13- वरिष्ठ लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि., जबलपुर ।

14- वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी(सीओजी एण्ड एचएस)/संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताविपरि./टोंस जविगृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।

15- स्टाफ आफिसर/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी)/(वाणिज्य), म.प्र.पा.जन.कं.लि., जबलपुर ।

16- सहायक अभियंता (आई.टी.), कार्या.मुख्य अभि.(मा.संसा.एवं प्रशा.), म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., जबलपुर । -वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

17- अमृता हॉस्पिटल, रीवा रोड, पिपरिया, शहडोल (म.प्र.)
- अनुरोध है कि चिकित्सालय की मान्यता निरंतर रखने हेतु NABH के प्रोगेसिव लेवल का प्रमाण पत्र दिनांक 31.12.2017 के पूर्व अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

(एस.के. देशपाण्डे)
संयुक्त सचिव-एक
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)